न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल लाल स्वर्णकार, आरएएस,

प्रकरण संख्याः– 3/2017 (गुण्डा एक्ट)

दायर दिनांकः– 10.03.2017

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

——————————प्रार्थी

बनाम

श्री मनोज पिता अम्बाप्रसाद नागर निवासी पारखों की गली, प्रतापगढ़ (राज.)

————————अप्रार्थी/गैरसायल

:–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975–:

:–निर्णय–: दिनांकः– 19 जून 2019

1–श्रीमान् कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेशांक/सरिश्ता/आदेश/2010/1571–1575 दिनांक 22.12.2010 से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को दिये जाने से हस्तगत प्रकरण में सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जा रही है । संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/2, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्ध अप्रार्थी/गैरसायल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैरसायल व्यक्ति बदमाश प्रवृति का होकर अवैध जुआं सट्टा खेलने का आदि है इसके विरूद्ध कोई गवाही देने की हिम्मत नही करता है । अप्रार्थी/गैरसायल के विरूद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 03 प्रकरण पंजीबद्ध होकर, सक्षम न्यायालय से दोषी करार जुर्माने से दण्डित किया गया है।

अप्रार्थी/गैरसायल के विरूद्ध निम्नाकिंत संज्ञेय अपराधों की ईत्तला रिपोर्ट थाना प्रतापगढ़ में दर्ज होकर, प्रकरणवार नतीजा न्यायालय उसके सामने अंकित है:–

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या	अपराध अन्तर्गत धारा	तारीख दायर	अंतिम रिपोर्ट पुलिस	निर्णय न्यायालय
345/16	13 आर.पी.जी.ओ.	16.10.16	262/16	दिनांक 11.11.2016 को दोषी करार एवं 100 रू जुर्माने से दण्डित
350/16	13 आर.पी.जी.ओ.	17.10.16	246/16	दिनांक 01.12.2016 को दोषी करार एवं 50 रू जुर्माने से दण्डित
360/16	13 आर.पी.जी.ओ.	20.10.16	259/16	दिनांक 21.11.2016 को दोषी करार एवं 50 रू जुर्माने से दण्डित

प्रार्थना पत्र ताईद में प्रथम सूचना रिपोटर्स, चार्ज शीट्स एवं सक्षम न्यायालय में निर्णय की सत्यापित प्रतियाँ पेशकर, अप्रार्थी/गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की ।

2–मामला बाद पंजीबद्व कर, अप्रार्थी / गैरसायल को नोटीस जारी किया गया । गैरसायल को जारी नोटिस मय उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसायल की दिनांक 11.10.2017 को मृत्यु हो चुकी है। अतः प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को भेजी जावे।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)